न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ जिला अजमेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र संख्या 51/2017 उनवान नारा140 बनाम भंवरलाल
16/2/2026	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित वाद पत्र में अंक 24/05/2017 से प्रतिवादी क्र. 02 से 14 की तलबी शेष है लगभग 9 वर्ष की समयावधि तक भी प्रतिवादी क्र 02 से 14 की तलबी नहीं करवाई गई है अतः वादी का वाद अदम तक्मील में खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्री रजत यादव (आई.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या 57 / 2017

नारायण बनाम भंवरलाल वगै.

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 340 सी.आर.पी.सी.

उपस्थित वकील वादी श्री गोविन्द दास

वकील प्रतिवादी श्री रामदेव गुर्जर दिनांक 3/2/16

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि वकील प्रतिवादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा प्रतिवादी संख्या 1 (भंवरलाल दत्तक पुत्र देवा जाति जाट निवासी डिडवाडा) ओर से निम्न निवेदन है कि वादी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष झुठे अभिकथनो के आधार पर दावा पेश किया गया है एवं वाद पत्र के साथ में माननीय न्यायालय के समक्ष झुठा शपथ–पत्र पेश किया गया है। वादी झुठे अभिकथनों के आधार पर माननीय न्यायालय के समक्ष कुटरचित व फर्जी तरिके से अनुतोष प्राप्त करने हेतु वाद पेश किया गया है। जो वाद के अवलोकन मात्र से एंव जवाबकर्ता संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व जवाब दावे के आधार पर वादी के विरूद्ध विधिक रूप से प्रसंज्ञान लिया जाना आवश्यक है ताकि आम काश्तकार को ऐसे फर्जी व्यक्तियों द्वारा परेशान न होना पडे एंव माननीय न्यायालय के समक्ष पेश फर्जी व झुठे मुकदमो पर अंकुश लग सकें। वादी मृतक खातेदार का जाईन्दा पुत्र बताकर प्रश्नगत आराजी को खुर्द बुर्द करने कि मंशा से झुठा वाद पेश किया गया है। वादी अभिभाषक द्वारा भी फर्जी तरिके से व असत्य कथनो के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 02.03.2017 को नोटिस दिलवाया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 सामाजिक रिति–रिवाज / प्रथा के अनुसार मृतक खातेदार द्वारा गौद लिया गया था एवं श्रीमान् तहसीलदार महोदय द्वारा 11.10.1977 एवं 03.11.1977 को बयानात लेकर निर्णय पारित किया गया था उक्त निर्णय कि पालना में प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 16.11.1977 नामान्तरण स्वीकृत किया गया था इस प्रकार न्यायालय कि निर्णय कि जना कि जाकर प्रश्नगत आराजी का खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 है इन सभी तथ्यों कि बादी को जानकारी होने के बाद भी माननीय न्यायालय के समक्ष कपट पुर्वक झुठे अभिकथन किये गये है जबकी वादी जाईन्दा पुत्र न होकर गौत्र भी अलग–अलग है। इस प्रकार के मिथ्या अभिकथन किये गये है। इस कारण से वादी के विरुद्ध फौजदारी कार्यवाही होना आवश्यक है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादी के विरूद्ध धारा 340 सी०आर०पी०सी० के तहत प्रसंज्ञान लिये जाने के आदेश प्रदान कर दण्डित किये जाने के आदेश प्रदान कराने कि कृपा करावें।

वकील वादी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर जाहिर किया कि प्रार्थना पत्र के कथन गलत एवं अस्वीकार है, वादी ने वास्तविक तथ्यों एवं राजकीय दस्तावेज के अनुसार वाद पेश किया है जो कि विधि के अनुसार पोषणीय है। वादी स्व. देवाराम का जायन्दा पुत्र है जिसके बाबत पर्याप्त दस्तावेज वादी द्वारा साक्ष्य पत्रावलीं में पेश किया गया है, अभिभाषक ने दस्तावेजों का अवलोकन करने की विधिक सूचना पत्र प्रतिवादी संख्या 01 को दिनांक 02.03.2017 को भेजा गया था जिसका

प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा कोई भी जवाब पेश नहीं किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 ने कूटरचित दस्तावेज के अनुसार वादग्रस्त भूमि का नामान्तरण अपने नाम करवाया है जो कि प्रभावहीन है, रजिस्टर्ड गोदनामा पत्रावली में पेश नहीं किया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किया जावे।

हमारे द्वारा वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया, प्रस्तुत वाद धारा 88,183, 188 राज.का.अधि. के तहत पेश किया गया है जिसमें तनकीवार साक्ष्य एवं सुनवाई के आधार पर निर्णय पारित किया जायेगा, वकील प्रतिवादी धारा 340 सी.आर.पी. सी. के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने बाबत पर्याप्त हेतुक देने में असफल रहें हैं। अतः वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गतधारा 340 सी.आर.पी.सी. को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)